



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं0 पटना 644) पटना, सोमवार, 22 जून 2026

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

4 अप्रील 2025

बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025

सं०सं० 04/स्था०-18-(संवर्ग नियमावली)-12/2024 का-1585—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालयों के प्रारूपकार संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 को निरसित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह नियमावली “बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।— इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो—

- (i) “विभाग” से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
- (ii) “संवर्ग” से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत प्रारूपकार संवर्ग जिसमें इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले कर्मी सम्मिलित होंगे;
- (iii) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग;
- (iv) “नियत तिथि” से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
- (v) “आयोग से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
- (vi) “क्षेत्रीय कार्यालय” से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता के अधीनस्थ सभी कार्यालय।

3. संवर्ग की संरचना।—

- (i) प्रारूपकार संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :-

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर
1	प्रारूपकार (ग्रेड-II)	मूल कोटि/श्रेणी
2	प्रारूपकार (ग्रेड-I)	प्रथम प्रोन्नति स्तर

संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जैसा सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

- (ii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर कार्यरत कर्मि स्वतः इस संवर्ग में सम्मिलित समझे जाएंगे।
- (iii) इस संवर्ग में विभिन्न कोटि के पदों की संख्या वही होगी जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।
- (iv) यह संवर्ग मुख्य अभियंता के परिक्षेत्रवार होगा।

4 अर्हता I—

- (1) प्रारूपकार (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता राज्य या केन्द्र से मान्यता प्राप्त बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन के साथ ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग आवश्यक है।
- (2) विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

5 भर्ती I—

- (1) प्रारूपकार (ग्रेड-II) का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद अनुरेखक कर्मि, जो प्रारूपकार (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
- (2) अनुरेखक के पद पर वर्तमान में कार्यरत कर्मि की प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति के पश्चात् पद रिक्त होने के उपरान्त प्रारूपकार (ग्रेड-II) का शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
- (3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।
- (4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्रधिकारों को मेधा क्रम से अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
- (5) सभी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर प्रारूपकार संवर्ग की मूल कोटि/श्रेणी में की जायेगी।

6 प्रोन्नति द्वारा भर्ती I—

- (1) नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग योग्यताधारी अनुरेखक कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।
- (2) प्रोन्नति वरीयतानुसार संबंधित नियुक्ति प्राधिकार की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।
- (3) प्रोन्नति समिति का गठन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

7 परीक्षा अवधि I—सीधी भर्ती से नियुक्ति परीक्षा पर होगी, जो एक वर्ष के लिये होगी। यदि परीक्षा अवधि में सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं पाया जाय तो उनकी परीक्षा अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

8 सम्पुष्टि I—सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मि द्वारा परीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद उसको सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

9 वरीयता I—संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा क्रमानुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आप की वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी :

परन्तु किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मि संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त कर्मि से वरीय होंगे :

परन्तु और भी कि किसी कर्मि के अनुरोध पर एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानान्तरण की स्थिति में उक्त कर्मि स्थानान्तरित परिक्षेत्र में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम होंगे, किन्तु प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने पर संबंधित कर्मि की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

10 आरक्षण I—इस संवर्ग में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

11 अवशिष्ट मामले I—ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है, संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

12 कठिनाई का निराकरण I—सरकार (जल संसाधन विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग) समय-समय पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो तथा इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

13 निर्वचन I—जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

14 निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (1) “बिहार, जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014” एवं पूर्व में निर्गत संवर्ग के संदर्भ में सभी संकल्प, आदेश या परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली, आदेश या परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस समय वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार मल्ल,
सरकार के प्रधान सचिव।

4 अप्रील 2025

सं०सं० 04/स्था०-18-(संवर्ग नियमावली)-12/2024 का-1585 “बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली-2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली 2025 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार गुप्ता,
सरकार के उप सचिव।

The 4th April 2025

N0.-4/Stha-18-(S. Ni.)-12/2024/1585—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is hereby pleased to repeal The Bihar Water Resources Department Field Draftsman Cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2014 and make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions of Draftsman of the field offices of Chief Engineers of the Water Resources Department .

1. Short Title, Extent and Commencement –

- (1) These Rules may be called as the "The Bihar Water Resources Department Field Draftsman Cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2025".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Definitions - In these Rules, unless otherwise required in the context ;-

- (i) "Department" means Water Resources Department;
- (ii) "Cadre" means the cadre of Draftsman working in the field offices of Water Resources Department, which shall also include persons to be appointed under these rules;
- (iii) "Appointing Authority" means the Chief Engineers, Water Resources Department;
- (iv) "Appointed day" means the date of commencement of these rules;
- (v) "Commission" means the Bihar Technical Service Commission;
- (vi) "Field Establishment" means all the establishments under the control of Chief Engineers, Water Resources Department.

3. Structure of the cadre –

(i) The cadre structure of Draftsman is prescribed as follows:-

SL No	Name of Category	Level
1	Draftsman (Grade II)	Basic Category / Grade
2	Draftsman (Grade I)	First Promotional Level

The pay scale of posts at various level of the Cadre will be the same as may be determined by Government (Finance Department) from time to time.

- (ii) The employees working on the posts at various levels of the Cadre before the promulgation of these Rules shall be deemed to be automatically included in this Cadre.
- (iii) The number of the posts at various level of the Cadre shall be such as may be fixed by the Government from time to time.
- (iv) This cadre shall be at the level of the Chief Engineer.

4. Eligibility –

- (1) The minimum educational qualification for appointment on the post of Draftsman (Grade II) shall be Matriculation from a Board/College/University recognized by the State or Central government with Diploma in Engineering in Draftsman.
- (2) The minimum age shall be 18 years on the date of the advertisement for recruitment and the maximum age shall be such as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

5. Recruitment-

- (1) 85% posts of Draftsman (Grade II) shall be filled up by direct recruitment and 15% post shall be filled up by order of seniority without examination, from such Tracer who possess the qualifications for appointment on Draftsman (Grade II) post.
- (2) Upon the posts of the present working Tracers becoming vacant due to promotion/ retirement, all 100% posts of the Draftsman (Grade II) shall be filled up by direct recruitment.
- (3) The appointing authority shall calculate the vacancies occurring till 1st April of every year and shall send requisition to the Commission by 30th April.
- (4) The Commission shall advertise the vacancies and after selecting the successful candidates on the basis of competitive examination, shall recommend the name of candidates to the appointing authority in order of merit. The merit list shall remain valid for one year from the date of the recommendation.
- (5) All recruitments shall be done in the basic category / grade post of Draftsman Cadre on recommendation of the Commission.

6. Recruitment by Promotion-

- (1) The appointing authority shall prepare the seniority list of Tracer employees possessing matriculation with Diploma in Engineering in Draftsman.
- (2) Promotion will be given as per seniority on the recommendation of the Promotion Committee constituted under the Chairmanship of the concerned appointing authority.
- (3) The Promotion Committee shall be constituted by the concerned appointing authority by separate order.

7. Probation period- A person appointed by direct recruitment shall be on probation, which shall be for one year. If the service and conduct of the employee in probation period is not found satisfactory, his/her probation period may be extended by another one year. If the service of the employee in the extended period of probation is not found satisfactory, he/she shall be discharged from the service.

8. Confirmation—A person appointed by direct recruitment shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the hindi noting and drafting examination and computer efficiency examination.

9. Seniority - Inter se seniority of the members of the cadre shall be in accordance with the order of merit as determined by the Commission but the inter se seniority determined prior to coming into force of these rules shall remain unchangeable:

Provided that the employee appointed through promotion in a recruitment year shall be senior to the employee(s) appointed through competitive examination in concerned recruitment year:

Provided further that if an employee is transferred from one zone to another zone at his request, he shall be the junior to the person(s) appointed in his/her recruitment year in the transferred zone, but if any employee is transferred on administrative ground, then his seniority shall be unaffected.

10. Reservation -The reservation roster prescribed by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time, shall be applicable to the direct appointments and promotions.

11. Residuary matters -With regard to matters not specifically covered by these Rules, the members of the cadre shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the officers/employees of the State Government at appropriate level.

12. Removal of difficulties - The Government (Water Resources Department/General Administration Department) shall have power to issue such general or special instructions, from time to time after consultation with the Law Department which may be necessary for removal of difficulties in implementation of any of the provisions of these Rules and is not inconsistent with the provisions of these Rules.

13. Interpretation - If any doubt arises in interpretation of any provision of these Rules, that matter shall be decided by the General Administration Department and its decision shall be final.

14. Repeal and Savings –

- (1) The Bihar Water Resources Department Field Draftsman Cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2014 and all related resolutions, orders and circulars previously issued are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules, orders or circulars shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor,
Santosh Kumar Mall,
Principle secretary .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 644-571+500-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>